

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.मं./2019

जयपुर, दिनांक: 20.05.2022

आदेश

राज्य में गौशालाओं, नदी शालाओं एवं शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय समिति का एतद्वारा गठन किया जाता है:-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. श्री शांति कुमार धारीवाल,<br>मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग                  | संयोजक  |
| 2. श्री प्रमोद भाया<br>मंत्री, गोपालन विभाग                                  | समन्वयक |
| 3. श्री लालचन्द कटारिया<br>मंत्री, पशुपालन विभाग                             | सदस्य   |
| 4. श्री महेश जोशी<br>मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग                 | सदस्य   |
| 5. श्री रामलाल जाट,<br>मंत्री, राजस्व विभाग                                  | सदस्य   |
| 6. श्रीमती शकुन्तला रावत<br>मंत्री, उद्योग विभाग                             | सदस्य   |
| 7. श्री राजेन्द्र यादव,<br>राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य   |

उक्त समिति निम्नांकित विषयों पर चर्चा कर निर्णय ले सकेगी:-

1. गौशालाओं को चरागाह भूमि के आवंटन बाबत।
2. नदी शालाओं के कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण बाबत।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान बाबत।
4. उपरोक्त विषयों से संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण बाबत।

उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विशेषज्ञों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी तथा आमजन से भी इन समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी। उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, गोपालन विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह/-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. शासन सचिव, गोपालन विभाग।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव